

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री दिनेश कुमार पिता बजरंग लाल महला निवासी नाहरसिंघाणी हाल रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केन्द्र-II, A.T.C. फाय सागर रोड़, अजमेर-305005

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़  
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
प्रकरण संख्या 05/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2018	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार पिता बजरंग लाल महला निवासी नाहरसिंघाणी तह. नवलगढ़ जिला झुंझुनूं हाल F No. 095340191 सिपाही/चालक दिनेश कुमार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केन्द्र-II, A.T.C. फाय सागर रोड़, अजमेर ने लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत किया जिसे आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 14.09.2017 को धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया। जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2017 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 35 दिवस में दिनांक 10.10.2017 तक लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 10.11.2017 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 01 माह 18 दिवस के पश्चात् दिनांक 28.12.2017 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	